Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता का देहान्त लगभग 15 साल पूर्व हो चुका।
वादी के पिता जीवनकाल में ही आज से करीब 40 साल
पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 के पिता स्व० कालू के
बीच विभाजन हो चुका था। पारिवारिक विभाजन के मुताबिक
प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 के पिता कालूराम का उपरोक्त ख०
नं० का सम्पूर्ण हि० वादी के हिस्से में आया हुआ था।
तथा वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 ता 3 के पिता ने भूमि रन
ग्राम नीमोद में शामलाती में खरीदी जिसकी खातेदारी
प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 के पिता के नाम से कराई थी।
जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 के पिता के नाम
से है। इस प्रकार वादी अपने पिता के हक में आई 1/4
हिस्से की भूमि वर्णित खसरा संख्या 1 व 2 पाड पडु पर
काबिज चला आ रहा है। वर्तमान में वादी ने अपने 1/4
हिस्से में बाजरा ग्वार की काश्त कर रखी है। उक्त भूमियों
की सिंचाई नहर ख० नं० 2245 से होती है जिसकी मरम्मत
वादी ने काफी खर्चा करके कराई एवं इंजन लगा रखा
है एवं रिहायश हेतु पुख्ता मकानात का निर्माण करा रखा
है। कालू का देहान्त होने पर प्रतिवादीगण ने चाला बाजा
बदनियति पूर्वक भूमि वर्णित ख० सं० 1 व 2 पाड पडु का
नामान्तरण विरासत के आधार पर दिनांक 23-9-98 को
राजस्व अभियान में राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर
अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही कराये जाने की
जानकारी होने पर वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना को
आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु तहसीलदार नीमकाथाना ने इस
आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। एवं नाम० सं० 87
दिनांक 23-9-98 को स्वीकार कर लिया। जिसका प्रतिवादीगण
को कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं था। प्रतिवादीगण
का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण जब
बदनियति पूर्वक दिनांक 26-9-98 को वादी के कब्जे काश्त
में मुजाहमत करने पर आमादा हो गये एवं भूमि विक्रय
करने की धमकी दी जिस पर वादी ने खातेदारी वादी
के नाम कराने को कहा तो इन्कार हो गये। प्रतिवादीगण
की उक्त कैंजा एवं गैर कानूनी कार्यवाही से वादी को
सख्त हक तलफी एवं बेरुखी है। अतः [illegible] बाद
नाम डिक्री फरमाया जावे कि भूमि वर्णित [illegible] सं० 1 व 2 पाड
पडु में वादी के 1/4 हिस्से [illegible] र
है एवं खातेदारी अपने [illegible] दर्ज करवाने का अधिकार
प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] बन्द फरमाया
जावे कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि वर्णित ख० सं०
1 व 2 पाड पडु के 1/4 हि० के कब्जे काश्त में किसी प्रकार
की मुजाहमत नहीं करे न भूमि को बेचान करे न वादी
को बेदखल करे न कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

मु॰ नं॰ 111/98

उनवान

1. चौथुराम पुत्र सीताराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना

-वादी-

बनाम

1. मक्खन पुत्र कालूराम
2. हरीराम पुत्र कालूराम
3. सोनाराम उर्फ सोहन पुत्र कालूराम
4. श्रीमती मोदी विधवा कालूराम

समस्त जाति मालीयान निवासीयान खादरा तहसील नीमकाथाना

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1 श्री मनीराम जाखड एड॰ - वकील वादी.
2. श्री केदारनाथ गुप्ता एड॰ वकील प्रतिवादीगण.

निर्णय दिनांक 26·3·06

संक्षेप में वादी का वाद पत्र इस प्रकार है कि कृषि ख॰ नं॰ 2242 एवं 2243 तन ग्राम खादरा में स्थित है। जिसकी खातेदारी दीना पुत्र माना, हीरा पुत्र नरसा जाति माली निवासी खादरा रहिन सीकर सहकारी कृषि विकास बैंक सीमाधोपुर हि॰ 1/2 मृतहीन बीजा पुत्र फला, माल्या पुत्र गुमाना हि॰ 1/2 कौम माली सा॰ देह दर्ज है। कृषि ख॰ नं॰ 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2244, 2245, 2246 कुल [illegible] .79 है तन ग्राम खादरा तहसील नीमकाथाना [illegible] जिसकी खातेदारी दीना पुत्र माना, हीरा [illegible] माली सा॰ देह हि॰ बराबर रहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि॰ सीमाधोपुर मृतहीन हि॰ 1/2 बीजा पुत्र फला, माला पुत्र गुमाना हि॰ 1/2 कौम माली सा॰ देह हि॰ बराबर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा की लिखावट की फोटो प्रति पेश की जो अनरजिस्टर्ड है व प्रमाणित भी नहीं है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तब हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested